भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2682

07 अगस्त, 2024 के लिए प्रश्न

वेयरहाउसों और गोदामों का निर्माण

2682. श्री नवसकनी के.:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत कितने वेयरहाउसों और गोदामों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या सरकार की अगले वित्तीय वर्ष के दौरान सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत तमिलनाडु में किन्हीं नए वेयरहाउसों/गोदामों का विकास करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत तमिलनाडु में किसी गोदाम/साइलोज़ का निर्माण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग): देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए खरीद के बाद खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का भंडारण और बफर स्टॉक का रखरखाव करता है।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में भंडारण क्षमता की आवश्यकता खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रचालनों पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता का लगातार आकलन और निगरानी करता है तथा आवश्यकता एवं भंडारण अंतर (स्टोरेज गैप) आकलन के आधार पर तमिलनाडु सहित अखिल भारतीय स्तर पर निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं:-

.....2/-

1. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलोज़ का निर्माण।
2. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना।
3. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत परिसंपत्ति मौद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण।
4. केंद्रीय क्षेत्र की योजना "भंडारण एवं गोदाम"।
5. केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।
6. निजी वेयरहाउसिंग योजना (पीडब्ल्यूएस)।
